

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संघा./2020-21/ 1812

जयपुर, दिनांक: 25/6/2020

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- विज्ञप्ति के प्रकाशन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात, जयपुर द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति संलग्नानुसार प्रकाशित करवाई जानी है। कृपया संलग्न विज्ञप्ति (09 प्रतियां) आपके विभाग की अनुमोदित दरों के आधार पर न्यूनतम स्पेस में एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर देय राशि का बिल तीन प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार 09 प्रतियां।

(अखिलेश कुमार पिपल)

निदेशक

जयपुर, दिनांक: 25/6/2020

क्रमांक: प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संघा./2020-21/ 1813-19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
6. सहायक निदेशक, द्वितीय (विज्ञापन शाखा), कार्यालय हाजा।
7. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)

उपनिदेशक (द्वितीय)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.: 0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2020-21/ 1812

जयपुर. दिनांक: 25/6/2020

विज्ञापित

अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की अवधि में प्रदेश के अधोलिखित जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताएं आवेदन-प्रपत्र में अंकित हैं। इच्छुक संस्थाएं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से भी निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही जमा कराये जाने हैं। आवेदन-प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

1. जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:- अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, मु0 नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोंही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर।
2. जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:- अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोंही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर।
3. अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:- लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामसर (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), कामां (भरतपुर), नगर (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), संगरिया (हनुमानगढ़), टिब्बी (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), मोहनगढ़ (जैसलमेर), नाचना (जैसलमेर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।
4. अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:- किशनगढ़बास (अलवर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामसर (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), नगर (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), संगरिया (हनुमानगढ़), टिब्बी (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।

स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय ही धरोहर राशि (राशि रुपये 30,000/-) की डी.डी. स्वयंसेवी संस्था द्वारा जमा करायी जायेगी। यदि अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृति निदेशालय द्वारा प्रदान कर दी जाती है और स्वीकृति उपरान्त स्वयंसेवी संस्था छात्रावास संचालन हेतु M.O.U. नहीं करती है या M.O.U. करने के पश्चात छात्रावास संचालन नहीं करती है, दोनों ही स्थितियों में स्वयंसेवी संस्था द्वारा जमा धरोहर राशि (राशि रुपये 30,000/-) जब्त कर ली जायेगी।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए सत्र 2020-21 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जावेगी। चयनित संस्थाओं को अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन विभागीय नियमों की अक्षरशः पालना करना होगा।

संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.07.2020

(अखिलेश कुमार पिपल)  
निदेशक